



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112024-258392  
CG-DL-E-04112024-258392

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4393]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946

No. 4393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4770(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.890(अ) दिनांक 23 फरवरी 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा "तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में एनएच-930P का जंक्शन किमी.189.600 से किमी.196.460 हैदराबाद ओआरआर (गौरेली में इंटरचेंज) पर (राजस्व प्रभाग कार्यालय, खम्मम) तक पुनर्वास और उन्नयन होने के लिए"।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29 अगस्त 2024" को "द हन्स इंडिया" (अंग्रेजी) और "द वेलुगु डेली न्यूस पेपर" (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-930P नेहरूनगर-कोथागुडेम खंड के किमी.189.600 से किमी.196.460 (राजस्व प्रभाग कार्यालय, खम्मम) तक भूमि के दायरे में आने वाली संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: खम्मम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सिंगरेनी					
गांव का नाम: उसिरिकायलापल्ले					
1	१७९	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	3.12371	फॉरेस्ट डिस्प्यूट
2	५०८	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर-कृषि)	0.0252929	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
3	५११	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर-कृषि)	0.0846213	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
4	५१२	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर-कृषि)	0.0550999	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
5	५१४	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर-कृषि)	0.273163	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
6	५४९	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.204893	रतन भाई लोध
7	५४९	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.455271	बय्या लाल कहर
8	५४९	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0252929	जागनढ कहर
9	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0202343	पेंदलकत्ता नगय्या

10	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0202343	पोडूगु बुचिरामुलु सन ऑफ़ बिक्षमैया
11	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.384451	पोडूगु बुचिरामुलु सन ऑफ़ स्वामी
12	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0202343	पोडूगु सरवैया सन ऑफ़ पिसैयाह
13	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0657614	पोडूगु रामकोतय्या सन ऑफ़ पापैया
14	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0961128	पोडूगु कृष्णय्या सन ऑफ़ पापैया
15	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.227636	पोडूगु वेंकटय्या सन ऑफ़ सीतैया
16	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0910543	मडुला कोटम्मा सन ऑफ़ लिंगैया
17	५५५	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि)	0.0050586	पोडूगु नारायणा सन ऑफ़ पेद्दा बिक्षमैया
18	रेलवे ट्रैक	सरकारी (लैंड)	सूखा (गैर-कृषि)	0.065045	रेलवे
<b>Total</b>				<b>5.243166</b>	

[फा. सं. EE/R&amp;B/NHK/A1/NH-930P/2022-23/504/3D]

अभय जैन, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2024

**S.O. 4770(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O No.890(E), dated on 23rd February 2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land "**Rehabilitation and Up-gradation of Nehrunagar – Kothagudem Section of NH-930P from Km.189.600 to Km.196.460(Revenue Division Office, Khammam) in the district of Khammam in the state of Telangana**".

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The Hans India**"(English) and "**The Velugu Daily News Paper**" (Telugu) both dated **29.08.2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.189.600 to Km.196.460(Revenue Division Office, Khammam) of NH-930P Nehrunagar - Kothagudem Section in the Khammam district in the state of Telangana.**

State: TELANGANA			District: KHAMMAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Singareni</b>					
<b>Village: Usirikayalapalle</b>					
1	179	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	3.12371	Forest Dispute
2	508	Private (Patta)	Dry (Non Agriculture)	0.0252929	Singareni Collieries Company Limited
3	511	Private (Patta)	Dry (Non Agriculture)	0.0846213	Singareni Collieries Company Limited
4	512	Private (Patta)	Dry (Non Agriculture)	0.0550999	Singareni Collieries Company Limited
5	514	Private (Patta)	Dry (Non Agriculture)	0.273163	Singareni Collieries Company Limited
6	549	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.204893	Rathna Bhai Lodh
7	549	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.455271	Bayya Lal Kahar
8	549	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0252929	Jagannadh Kahar
9	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0202343	Pendlakatta Nagaiah
10	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0202343	Podugu Buchi Ramulu Son of Bixmaiah
11	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.384451	Podugu Buchi Ramulu Son of Swamy
12	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0202343	Podugu Saravaiah Son of Paisaiah
13	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0657614	Podugu Rama Kotaiah Son of Papaiah
14	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0961128	Podugu Krishnaiah Son of Papaiah
15	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.227636	Podugu Venkataiah Son of Seethaiah
16	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0910543	Maddela Kotamma Son of Lingaiah
17	555	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.0050586	Podugu Narayana Son of Pedda Bixmaiah
18	Railway Track	Government (land)	Dry (Non Agriculture)	0.065045	Railway
<b>Total</b>				<b>5.243166</b>	

[F. No. EE/R&B/NHK/A1/NH-930P/2022-23/504/3D]

ABHAY JAIN, Director